न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00325 (109/2013) 225 आरटीएक्ट

इनाययततुल्ला पुत्र तवाखजन अली जाति मुसलमान निवासी वावर्ड नं. 3 खुन्जा त0 व जिल: हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. शिव तुल्ला
2. कुदरत तुल्ला
3. हजरत तुल्ला

पुत्रगण तवाखजन अली जाति मुसलमान वार्ड नं. 3 खुन्जां तहसील व जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 25.09.2013 द्वारा सहायक कलक्टर हनुमागनढ बअनवानी शिवतुल्ला बनाम इनायत तुल्ला प्र. सं. 241/2012

श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री औम प्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट रेस्पो0

निर्णय दिनांक –14.01.2020

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया कि एक वाद 53, 88, 188 आरटीएक्ट के तहत पेश किया हुआ है कि फरीकेन की माता नूरभरी पत्नी तवाखजन अली के नाम से चक 1 एस.टी.जी. खाता संख्या 33/21 खाता नूरीभरी में नूरीभरी क नाम 0.960 है. भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जिसने दिनांक 2/4/2012 को एक अपने एक पुत्र इनायत तुल्ला के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई है। उक्त खाता में अन्य वारिसान भी थे जिनको सामान रूप से हक कानूनन मिलता है और सबको बराबर न्यायत होता है इसलिए इनायत तुल्ला के पक्ष में करवाया गया त्यागपत्र में अकेले इनायत तुल्ला को हक न पहुच कर समस्त वारिसान को हक पहुंचता है। इस त्याग पत्र के आधार पर इनायत तुल्ला ने अपने हक में इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसे वह रहन बैय या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मुन्तकिल करने की धमकी दे रहा हैं। रेस्पो0/प्रार्थी ने अपीलाण्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि नूरीभरी ने त्याग पत्र अप्रार्थी के पक्ष में किया है। फरीकेन मुस्लिम कानून से शासित है। जिमसें संयुक्त सहदायी सम्पति व जद्दी जायदाद सम्बन्धी कोई कानून नहीं है। जिसके नाम से जायदाद ओद हो गई वही उसका खातेदार हो जाता है, जिसे हर प्रकार से मुन्तकिल करने को स्वतन्त्र है। मुसलिम कानून में जद्दी जायदाद का कन्सैप्ट न होने के कारण प्रार्थीयान का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीयान के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का अनुतोष मांगा और कथन किया कि पूर्व में 212 आरटीएक्ट के तहत स्थगन आदेश यह दिया हुआ है कि अपने हिस्सा तक विक्रय कर सकते हैं इसलिए पुनः स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता। प्रार्थीगण इस लिए प्रार्थी को परेशान कर रहे हैं कि एक वसीयत पिता तवाखजन अली ने अप्रार्थी के हक में 5 बीघा विशिष्ट भूमि की अपने खाता में से करवाई थी जिससे प्रार्थी नाराज है और लालचवश तमाम कार्यवाही कर रहे हैं।

3. विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि फरीकन मुकदमा जाति से मुसलमान हैं। मुस्लिम कानून से शासित हैं। खुद रेस्पोडेण्टान ने स्वीकार किया है कि सह खातेदार के हक में त्यागपत्र. हो सकता है। रेस्पोडेण्टान को यह प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए दायर करने का हक नहीं है। त्यागपत्र स्वेच्छा से व विधि पूर्ण तरीके से नूरभरी ने अपने पुत्र के हक में पंजियन करवाया है। इस मामले में त्यागपत्र में इनायत तुल्ला को भी दी गई भूमि नूरीभरी के समस्त वारीसान को समान रूप से न्यागत नहीं होती है। इस कारण इस 0.960 है0 भूमि में अपीलाण्ट के अलावा अन्य किसी का कोई हिस्सा नहीं है। प्रश्गनत भूमि विधिपूर्ण तरीके से अपीलाण्ट इनायत तुल्ला के नाम से दर्ज हुई है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपना हक अन्तरित करने का कानूनी अधिकार है। इसलिए रेस्पोडेण्टान का कोई मामला इस दृष्टिकोण से नहीं बनता है। नूरीभरी पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश अपने हक की भूमि को अन्तरित करने पर नहीं था। अपना हक प्रत्येक काश्तकार अन्तरित कर सकता है। इसलिए रेस्पौण्टान को ना तो अपूर्णीय क्षति हो

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रही है व न ही प्रथम दृष्टया मामला ही रेस्पोडेण्टान का बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नहीं है क्योंकि मुस्लिम कानून में जद्दी जायदाद सम्बन्धी कोई कानून व नियम व तथ्य नही होते हैं। मुस्लिम लॉ में जो जायदाद जिसको ओद हो गई वही उसका पूर्ण मालिक होता है। रेस्पोडेण्टान का कोई मामला नहीं बनता है। रेस्पोडेण्टान का जितना हक उसका रिकार्ड में दिया हुआ है वह उसके पास सुरक्षित है उसमें किसी प्रकार की दखल नही दी जा रही है। पूर्व में भी रेस्पोडेण्टान द्वारा एक प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु0 नं0 45/2007 ता फैसला 2008 बअनवानी शिव तुल्ला बनाम हिदायत तुल्ला आदि जिसके अन्तर्गत यह आदेश दिया गया था कि काश्तकार अपने हक से अधिक भूमि विक्रय न करे। इस प्रकार एक बार स्थगन आदेश दिये जाने के निर्णय के विरूद्ध पुनः स्थगन आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना–पत्र विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेण्टान ने 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र रंजिश वश लगाया है। फरीके के पिता तवाखजन अली था जो अकेला खातेदार था और हर प्रकार से भूमि अन्तरण करने के लिए स्वतंत्र था। उसने अपनी इच्छा से भूमि अलग अलग व्यक्तियों को विशिष्ट रूप से विक्रय की थी और अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही एक रजिस्टर्ड वसीयत 29.05.2004 को अपीलाण्ट के पक्ष में की थी, जिससे रेस्पोडेण्ट नाराज हैं व तरह तरह से परेशान करता रहता है। वास्तव में रेस्पोडेण्टान अपने हक पर काबिज है लेकिन लालचवश और हाथ मारना चाहता है नकनियत नहीं है साफ हाथें से अदालत में नहीं आया है इस कारण स्थगन पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मुसलिम लॉ व हिन्दु लॉ के प्रावधानों को नहीं समझा तथा हिन्दू विधि के अनुसार कोपार्सनर मानकर सब कोपार्सनर एक रिलीजडीड से जाता है यह मानकर निर्णय दिया है। जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि फरीकेन की माता नूरभरी पत्नी तवाखजन अली के नाम से चक 1 एस.टी.जी. खाता संख्या 33/21 खाता नूरीभरी में नूरीभरी क नाम 0.960 है. भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जिसने दिनांक 2/4/2012 को एक अपने एक पुत्र इनायत तुल्ला के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई है। उक्त खाता में अन्य वारिसान भी थे जिनको सामान रूप से हक कानूनन मिलता है और सबको बराबर न्यायत होता है इसलिए इनायत तुल्ला के पक्ष में करवाया गया त्यागपत्र में अकेले इनायत तुल्ला को हक न पहुच कर समस्त वारिसान को हक पहुंचता है। इस त्याग पत्र के आधार पर इनायत तुल्ला ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हक में इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसे वह रहन बैय या मुन्तकिल करने की धमकी दे रहा हैं। रेस्पो0/प्रार्थी ने अपीलाण्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करने का अनुतोष मांगा। रिलीज डीड/दस्तबरदारी में मुसलिम कानून लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 509 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। उनकी माता नूरभरी पत्नी तवाखजन अली अपने नाम दर्ज नाम 0.960 है0 को एक अपने एक पुत्र. इनायत तुल्ला के पक्ष में दस्तबरदारी करवा दी है। उक्त खाता में अन्य वारिसान भी थे जिनको समान रूप से हक कानूनन मिलता है और सबको बराबर न्यायत होता है इसलिए इनायत तुल्ला के पक्ष में करवाया गया त्यागपत्र में अकेले इनायत तुल्ला को हक न पहुच कर समस्त वारिसान को हक पहुंचता है। इस त्याग पत्र के आधार पर इनायत तुल्ला ने अपने हक में इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिसे वह रहन बैय या मुन्तकिल करना चाहता है। जिसे रोकने के लिए स्थगन आदेश दिया जाना आवश्यक इसलिए अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का कथन किया जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है फरीकने मुस्लिम विधि से शासित होते हैं और मुस्लिम विधि अनुसार संयुक्त सहदायी सम्पति व जद्दी जायदाद सम्बन्धी कोई कानून नहीं है। नूरी भरी ने प्रश्नगत भूमि की दस्तबरदारी अकेले अपीलाण्ट के पक्ष में करवाई है इसलिए समस्त 0.960 है0 हिस्सा का अकेला अपीलाण्ट हकदार है अन्य सह खातेदारों का कोई हक अधिकार नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी चक 1 एसटीजी खाता सं0 21/16 में जवाखजन अली के नाम 11.725 है0 संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें तवाखजनअली के फौत होने के बाद नूरभरी आदि के नाम विरास्तन इन्तकाल सं0 191/21.12.06 दर्ज हुआ है जिसमें नूरभरी का 1/8 हिस्सा दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि नूरभरी को तवाखजनअली से विरास्त में मिली है। नूरभरी द्वारा अपना 0.960 है0 हिस्सा अपीलाण्ट के पक्ष में दस्तबरदारी कर दिया है जिसका इन्तकाल सं0 284 दिनांक 20.04.2012 अपीलाण्ट के नाम अंकित हो चुका है। **रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014 (1) पेज 509 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सह खातेदार उसका हिस्सा एक सह खातेदार के पक्ष में नहीं त्याग कर सकता**

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपितु सभी सह खातेदारों के पक्ष में त्याग कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में नूरभरी द्वारा अपना हिस्सा हिस्सा सभी सह खातेदारों के पक्ष में त्याग करने की बजाय केवल एक अपीलाण्ट इनायत तुल्ला के पक्ष में हकत्याग किया है। अपीलाण्ट यह तक कि फरीकेन मुस्लिम जाति से हैं इसलिए मुस्लिम विधि के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य परिवार के किसी एक सदस्य को अपना हक त्याग कर सकता है। इस बिन्दू का निर्धारण मूल वाद में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तय होना है। दस्तबरदारी के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है। **जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो जाता है तब तक उभयपक्ष के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने के लिए तथा उभयपक्ष के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।** अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.213 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: